

2020/00014

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्थात् पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
03/20	53, 88, 89, 90, 91, 188 RTA	जाटपुरिया	इकडा
वादी	AB3/2020	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रमजो बाई	बनाम	गण्डू (कां)	

वकील :- भानु कुमार गुप्ता एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

7<sup>01</sup>/<sub>20</sub>

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2020 को पेश हो।

27<sup>01</sup>/<sub>20</sub>

अपने नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 19/1/2020 को पेश हो।

*Signature*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

19<sup>27</sup>/<sub>20</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से श्री इमादुल्ला खान एडवो. का अवाकल नाम पेश किया तथा प्रतिवादी कम 3 की ओर से अहमद रेकिंग पेश किया। अवाकल नाम/वकील पत्रावली दिनांक 23/3/20 को पेश हो।

23<sup>31</sup>/<sub>20</sub>

कोरोना वाइरस संक्रमण के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 27/4/20 को पेश हो।

*Signature*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
 शिविर...<sup>शुद्ध</sup>... पर पत्रावली पेश  
 हुई। साकारान उपस्थित/अनुपस्थित।  
 कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली  
 न्यायालय में दिनांक 27/12/2021  
 को पेश हो।

21/3/22

पत्रावली पेश हुई। बकुलार परीकेंत उपस्थित। वकील  
 प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ है।  
 समझ — चढ़ा है। अंतिक अवसर दिया जाता है  
 करते जवाब पत्रावली दिनांक 21/3/22 को पेश हो।

21/3/22

पत्रावली पेश हुई। बकुलार परीकेंत उपस्थित।  
 वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ  
 समझ — चढ़ा है। पूर्व में अंतिक अवसर दिया जा चुका  
 है फिर भी जवाब पेश नहीं। आधारित में एड और  
 अंतिक अवसर दिया जाता है करते जवाब पत्रावली  
 दिनांक 21/3/22 को पेश हो।

27/22

आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में स्थितिंतरण  
 धरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
 दिनांक... 25/6/22... को पेश हो।

न्यायालय उपसंयुक्त अधिकारी  
 छबड़ा बारा,

20/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित। वकील प्राची  
 एवं वकील प्रतिवादी को एक एक कर तीन बार आवाज  
 लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक शपथी  
 अटक पेश की रकारित किया जाता है। पत्रावली पेश  
 शुभर शुभर दारिद्र्य दफतर हो।